(वाद सं0–3451/2017)

13.07.2021

परिवादी, शारदा देवी, अनुपस्थित हैं।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, शारदा देवी को अंचल–रजौन, मौजा–कोतवाली, थाना संख्या–527, खाता संख्या–115, खेसरा संख्या–301, रकवा–08डी0 बन्दोवस्ती की भूमि का कब्जा दिलाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बांका के न्यायालय में दायर BLDR Case NO- 70/14-15 में दिनांक–22.09.2014 को दखल–दिहानी हेतु पारित आदेश के आलोक में अंचल अमीन द्वारा 08डी0 जमीन पर परिवादी को दखल–कब्जा दिला दिया गया। खेसरा संख्या–301 में दखल को लेकर कोई विवाद नहीं है। बाद में परिवादी द्वारा बन्दोवस्ती की गयी भूमि का विक्रय भी कर दिया गया है, जिसको बेचने का परिवादी को कोई अधिकार नहीं है। जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र को अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी है। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी का कथन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष उसके द्वारा कोई परिवाद पत्र दाखिल नहीं किया गया था। उसके गांव के विरोधियों द्वारा उसके नाम से षड्यंत्र रचकर राज्य मानवाधिकार आयोग में प्रसंगाधीन परिवाद पत्र दाखिल किया गया है।

चूंकि, परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में प्रसंगाधीन परिवाद पत्र को राज्य आयोग में दाखिल नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त परिवाद पत्र पर राज्य मानवाधिकार आयोग के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

वर्णित स्थिति में जिला पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामला को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ जिला पदाधिकारी, बांका व परिवादी को प्रेषित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक